न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सिवान।	
उपस्थिति : मनोज कुमार – द्वितीय भरण पोषण वाद संख्या- 217 of 2024 CIS No.- 217 of 2024	
पृष्ठ सं0– 1 /5	
1 2	शिवानी देवी वर्तमान उम्र 35 वर्ष, पत्नी पंकज कुमार जयसवाल सानवी जयसवाल वर्तमान उम्र 09 वर्ष पुत्री पंकज कुमार जयसवाल नाबालिग द्वारा आवेदिका सं0 01/ माता/ संरक्षिका दोनों निवासी साकिन ग्राम–गधड़ा अंश, थाना–परसुडीह, जिला–पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड। वर्तमान पता शिवानी देवी पुत्री राधामोहन प्रसाद ग्राम–कागजी मुहल्ला दलदरी सिवान, थाना–सिवान नगर, जिला–सिवान पिन 841226 मोबाईल 9470794129
	.....आवेदिकागण
	–बनाम–
1	पंकज कुमार जयसवाल, वर्तमान उम्र 38 वर्ष पिता–स्व0 मोहन जयसवाल साकिन गधड़ा अंश टेलको मकान सं0 178, थाना–परसुडीह, जिला–पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड पिन 831016 मो 9470584325
	.....विपक्षी

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता	श्री मो0 कलीमुल्लाह
विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता	कोई नहीं
आदेश तिथि	28वीं जुलाई, 2026
उपस्थिति	मनोज कुमार – II, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सिवान।

आदेश

1. प्रस्तुत वाद आवेदिकागण शिवानी देवी एवं सानवी जयसवाल द्वारा धारा 144 बी0एन0एस0एस0 के तहत अपने भरण पोषण हेतु कुल मो0 50,000/–रूपया प्रतिमाह विपक्षी पति/ पिता पंकज कुमार जयसवाल से दिलवाने हेतु दाखिल किया है।

2. संक्षेप में, आवेदिका का भरण पोषण के लिए दाखिल आवेदन में अभिकथन है कि आवेदिका सं0 01 की शादी विपक्षी के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार दिनांक 26.01.2010 को हुई थी। शादी के बाद से ही विपक्षी दहेज के लिए आवेदिका को बराबर तरह–तरह प्रताड़ित करता था। इसी बीच आवेदिका के तन से एक लड़की सानवी जयसवाल उम्र 07 वर्ष पैदा हुई। इसी बीच विपक्षी की

नियत खराब हो गई तथा विपक्षी ने दूसरी शादी करने के फिराक में लगा रहता था जिसका आवेदिका बराबर विरोध करती थी। विपक्षी ने दिनांक 25.06.2015 को दहेज के लिए आवेदिका और उसकी मासूम बच्ची को मारपीट कर घर से निकाल दिया तब से आवेदिका अपनी पुत्री सहित अपने मायके में है। आवेदिका ज्याद पढ़ी लिखी नहीं है। विपक्षी टाटा कम्पनी में क्लर्क के पद पर कार्यरत्त है तथा उसको प्रतिमाह 85,000/–रूपया वेतन मिलता है। विपक्षी का ग्राम गधड़ा में एक बिघा जमीन है जिसमें साग–सब्जी की खेती से प्रतिमाह 60,000/–रूपया आमदनी होती है। विपक्षी को सभी स्रोतों से कुल 1,45,000/–रूपया प्रतिमाह आमदनी होती है। आवेदिका व उसकी नाबालिग बच्ची भूखो मरने की स्थिति में हैं। अंततः आवेदिका सं0 01 ने निवेदन किया है कि, उसे अपने व अपने पुत्री के लिए कुल 50,000/– रूपये भरण पोषण हेतु दिलाया जाय।

3. प्रस्तुत वाद में, विपक्षी की उपस्थिति हेतु न्यायालय द्वारा नजारत एवं निबंधित नोटिश निर्गत की गई हैं और आवेदिका द्वारा निबंधित नोटिस की रसीद एवं ट्रेक रिपोर्ट दाखिल किया गया है जिससे यह स्पष्ट है कि निबंधित नोटिस विपक्षी को प्राप्त हो चुका है तत्पश्चात् आदेश दिनांक 21.01.2026 यह मानते हुए कि विपक्षी जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है, इस वाद की कार्यवाही एकपक्षीय साक्ष्य हेतु नियत की गई। उसके बाद न्यायालय के आदेश दिनांक 03.07.2026 से आवेदिका के आवेदन के आलोक में आवेदिका का साक्ष्य बंद किया गया है एवं आवेदिका के एक पक्षीय बहस हेतु नियत किया गया हैं। बहस सुनने के पश्चात् अंततः वाद को आदेश हेतु नियत किया गया है।

4. आवेदिका ने अपने आवेदन पत्र को सिद्व करने के कम में अपनी ओर से 03 साक्षियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। आवेदिका द्वारा शादी के कार्ड की छायाप्रति एवं आधार कार्ड की छायाप्रति एवं आवेदिका सं0 02 सानवी जयसवाल के जन्म प्रमाण पत्र की छायाप्रति दाखिल किया गया है। विपक्षी इस वाद में उपस्थित नहीं हैं और न ही विपक्षी की ओर से कोई साक्षी ही प्रस्तुत किया गया है और न ही विपक्षी द्वारा आवेदिका के मूल आवेदन की आपत्ति ही दाखिल किया गया है और न ही विपक्षी की ओर से आवेदिका के साक्षियों से प्रतिपरीक्षण ही किया गया है।

5. आवेदिका साक्षी संख्या 01: स्वयं आवेदिका सं0 01 हैं इन्होंने अपने वाद पत्र के तथ्यों का समर्थन अपने साक्ष्य शपथ पत्र से किया है। आवेदिका सं0 01 के प्रतिपरीक्षण हेतु विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए और इस तरह आवेदिका सं0 01 का मुख्यपरीक्षण ग्रहण करते हुए आवेदिका सं0 01 को उन्मोचित किया गया। न्यायालय प्रश्न के उत्तर में आवेदिका सं0 01 ने कहा है कि वह कक्षा दसवीं तक पढ़ी हुई है। उसकी बच्ची की जन्मतिथि 12 सितम्बर 2016 है। उसके पति टाटा मोटर्स कम्पनी जमशेदपुर में क्लर्क हैं। वह वर्ष 2015 से अपने पति से अलग रह रही है। उसके पति शादी के पहले से ही नौकरी में थे।

6. आवेदिका साक्षी संख्या 02 अंजली देवी जो आवेदिका सं0 01 की मॉ हैं और इन्होंने भी आवेदिका के कथनों का समर्थन अपने दाखिल साक्ष्य शपथ पत्र से किया है। आवेदिका साक्षी सं0 02 के प्रतिपरीक्षण हेतु भी विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए और इस तरह आवेदिका साक्षी का मुख्यपरीक्षण ग्रहण करते हुए आवेदिका साक्षी को उन्मोचित किया गया। न्यायालय प्रश्न के उत्तर में आवेदिका

साक्षी सं0 02 ने कहा है कि आवेदिका सं0 01 को एक पुत्री उम्र 07 वर्ष की है। उसके दामाद टेलको जमशेदपुर में काम करता है। विपक्षी के काम करने का कागज है। उसके बेटी आवेदिका को वर्ष 2017 में ससुराल से निकाल दिया गया था। आवेदिका दसवीं पास है। उसकी बेटी आवेदिका को 25.06.2015 में भी निकाला गया था जिसके लिए केस हुआ था लेकिन फिर वह समझौता करके ससुराल गई थी।

7. आवेदिका साक्षी संख्या 03 राधा मोहन प्रसाद जो आवेदिका सं0 01 के पिता हैं और इन्होंने भी आवेदिका के कथनों का समर्थन अपने दाखिल साक्ष्य शपथ पत्र से किया है। आवेदिका साक्षी सं0 03 के प्रतिपरीक्षण हेतु भी विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए और इस तरह आवेदिका साक्षी का मुख्यपरीक्षण ग्रहण करते हुए आवेदिका साक्षी को उन्मोचित किया गया। न्यायालय प्रश्न के उत्तर में आवेदिका साक्षी सं0 03 ने कहा है कि वह इंटर पास है। विपक्षी वर्तमान में टाटा कम्पनी में जमशेदपुर में पदस्थापित है। विपक्षी के दोस्तों ने बताया था कि विपक्षी को 85,000/–रूपया वेतन मिलता है मगर दोस्त का नाम मालूम नहीं है। विपक्षी जमशेदपुर में मजदूरों के साथ मिलकर खेती भी करवाता है।

8. विपक्षी इस वाद में उपस्थित नहीं हुए है और न ही विपक्षी ने आवेदिका के प्रार्थना पत्र का कोई विरोध/ आपत्ति ही दाखिल किया है और न ही अपनी आय व संपत्ति को दर्शित करने के लिए कोई शपथ पत्र ही दाखिल किये हैं। दूसरी ओर आवेदिका द्वारा आय, संपत्ति और देयताओं का शपथ पत्र दाखिल किया गया है जिसमें विपक्षी को इंटर पास होना एवं टाटा टेल्को कम्पनी में क्लर्क का काम करना वर्णित किया गया है तथा आवेदिका ने अपने आय संपत्ति के शपथ पत्र यह में वर्णित किया है कि विपक्षी को मो0 1,45,000/–रूपया प्रतिमाह आय होती है। आवेदिका ने शपथ पत्र में विपक्षी से अलग रहने की तिथि दिनांक 25.06.2015 अंकित किया है तथा अपने उपर मो0 50,000/–रूपया प्रतिमाह खर्च होना वर्णित किया है।

9. प्रस्तुत वाद में आवेदिका सं0 01 ने अभिकथित किया है कि उसकी शादी दिनांक 26.01.2010 को विपक्षी के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई थी तथा उसे विपक्षी के संयोग से एक पुत्री सानवी जयसवाल है जो इस वाद का आवेदिका सं0 02 है और वह आवेदिका सं0 01 के साथ उसके मायके में रह रही है। आवेदिका और उसके साक्षियों ने इस बात का समर्थन किया है कि आवेदिका सं0 01 विपक्षी की पत्नी है तथा आवेदिका सं0 02 उसका पुत्री है। आवेदिका सं0 01 के द्वारा शादी के कार्ड की छायाप्रति एवं अपने आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है जिस पर पति के रूप में विपक्षी/ पंकज कुमार जयसवाल का नाम अंकित है एवं आवेदिका सं0 02 सानवी जयसवाल के जन्म प्रमाण पत्र दाखिल किया गया है जिस पर पिता के रूप में पंकज कुमार जयसवाल विपक्षी का नाम अंकित है जिससे भी इस बात को बल मिलता है कि आवेदिका सं0 01 विपक्षी की पत्नी है तथा आवेदिका सं0 02 विपक्षी की पुत्री है। आवेदिका का कथन है कि उसे विपक्षी और उसके परिवार वालों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित कर एवं मारपीट कर उसका सारा स्त्रीधन छिनकर कर दिनांक 25.06.2015 को ससुराल से निकाल दिया गया तब से वह अपने पुत्री आवेदिका सं0 02 के साथ मायके में है। आवेदिका का यह भी कथन है कि विपक्षी टाटा टेल्को कम्पनी जमशेदपुर में क्लर्क का काम करता है एवं खेती करवाता है जिससे उसे सभी स्रोतों से

1,45,000/–रूपये प्रतिमाह आमदनी होती है। आवेदिका के अन्य साक्षी ने भी विपक्षी के आमदनी के संबंध में आवेदिका के बातों का समर्थन किया है। उसके साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण में भी इस बात का समर्थन किया है कि विपक्षी टाटा टेल्को कम्पनी जमशेदपुर में क्लर्क का काम करता है एवं खेती करवाता है जिससे उसे एक लाख पैंतालिस हजार रूपया प्रतिमाह आय होती है परन्तु विपक्षी के आय के संबंध में आवेदिका द्वारा कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदिका सं0 01 ने अपने आय संपत्ति के शपथ पत्र में विपक्षी को टाटा टेल्को कम्पनी जमशेदपुर में क्लर्क का काम करना एवं खेती करवाना वर्णित किया है। आय संपत्ति के शपथ पत्र में विपक्षी के पास एक बिघा जमीन होना और सभी स्रोतों से विपक्षी को 1,45,000/–रूपया प्रतिमाह आय होना वर्णित किया गया है परन्तु इस संबंध में कोई दस्तावेज आवेदिका द्वारा दाखिल किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि विपक्षी टाटा टेल्को कम्पनी जमशेदपुर में क्लर्क का कार्य करता है।

10. उपरोक्त परिस्थिति में न्यायालय का मत यह है कि विपक्षी अपनी पत्नी आवेदिका सं0 01 व पुत्री आवेदिका सं0 02 को भरण पोषण देने के लिए विधिक, सामाजिक तथा नैतिक रूप से उत्तरदायी है। भरण पोषण पति/ पिता के उपर कोई दण्ड/जुर्माना नहीं है, बल्कि भरण पोषण का उद्वेश्य पत्नी व बच्चे को दरिद्रता एवं अवारगी व भूखमरी से बचाना है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने पक्षकारों पर अपनी संपत्ति, आय एवं देनदारियों को, भरण पोषण के मामले में न्यायालय के समक्ष रखने के संबंध में उन्हीं पर दायित्व रखा है अर्थात आवेदक को अपनी आय व संपत्ति बतानी है तथा विपक्षी को अपनी आय व संपत्ति का उल्लेख करना है ताकि न्यायालय भरण पोषण निर्धारित करते समय उन पर विचार कर सके। विपक्षी न्यायालय में उपस्थित न होकर या अपनी आय व संपत्ति न दर्शाकर या शपथ पत्र दाखिल करने में देरी करके, अपने भरण पोषण के दायित्व से बच नहीं सकता। इसी कारण माननीय उच्चतम न्यायालय ने रजनेश बनाम नेहा 2021 (2) एस0सी0सी0 324 में दिये गए निर्देशों में परिवार न्यायालय के लिए भरण पोषण की राशि तय करते समय विपक्षी के आय का अनुमान, आवेदक द्वारा दाखिल शपथ पत्र के आधार पर लगाने का अधिकार सुरक्षित रखा है। भरण पोषण के मामलों में आवेदिका द्वारा विपक्षी की आय को बढ़ा–चढ़ा कर बताया जाता है तथा विपक्षी द्वारा अपनी आय कम से कम बताई जाती है। भरण पोषण दण्ड स्वरूप नहीं है फिर भी यह इस स्तर का होना चाहिए जो आवेदिका उसी जीवन स्तर को धारण कर सके जो वह अपने पति के साथ रहते हुए धारित करती। जहॉ तक विपक्षी की आय का प्रश्न है, उपर यह स्पष्ट हो चुका है कि एक क्लर्क है जो टाटा टेल्को कम्पनी जमशेदपुर में काम करता है और एक क्लर्क कम से कम 40,000/–रूपया प्रतिमाह आराम से कमा सकता है। उपरोक्त परिस्थिति में यह न्यायालय विपक्षी की आय मो0 40,000/–रूपया प्रतिमाह मानती है।

11. उपरोक्त परिस्थिति में यह न्यायालय, विपक्षी की आय मो0 40,000/– रूपये प्रतिमाह मानते हुए विपक्षी को आदेश देती है कि वह अपनी पत्नी शिवानी देवी आवेदिका सं0 01 को मो0 7,000/–रूपये प्रतिमाह एवं अपनी पुत्री सानवी जयसवाल/ आवेदिका सं0 02 को मो 4,000/–रूपये उसके बालिग होने तक अर्थात कुल मो0 11,000/–रूपये प्रतिमाह (ग्यारह हजार रूपये) प्रतिमाह

भरण पोषण के रूप में आवेदन दाखिल करने की तिथि दिनांक 19.08.2024 से नियमित अदा करे।

12. विपक्षी, इस आदेश के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आदेश का अनुपालन कर आवेदिका को उपरोक्त भरण पोषण की राशि अदा करे।

13. यदि अगले 10 दिनों में विपक्षी इस आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आवेदिका आदेश के प्रवर्तन के लिए उचित आवेदन दाखिल करने को स्वतंत्र होगी।

14. उपरोक्तानुसार यह भरण पोषण आवेदन एकपक्षीय स्वीकार करते हुए निष्तारित किया जाता है।

कार्यालय को आदेशित किया जाता है कि बाद पूर्ति आवश्यक औपचारिकताएँ, पत्रावली दफ्तर दाखिल करें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

(मनोज कुमार – द्वितीय)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय,सीवान।
28.07.2026

(मनोज कुमार – द्वितीय)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय,सीवान
28.07.2026

Dated : 28-07-2026